हजारीबाग नगर निगम, हजारीबाग।

मेला नीलामी संबंधी आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष हजारीबाग शहर स्थित गांधी मैदान, मटवारी में दिनांक 15.09.2019 से 15.10.2019 तक के लिए "डिजनीलैण्ड–सह–हैण्डीक्राफ्ट मेला 2019" के आयोजन हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र दिनांक 12.9.19 के पूर्वाहन 12 बजे तक आमंत्रित किए जाते है। दिनांक 12.9.19 के अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खुली डाक बोली/नीलामी के माध्यम से गांधी मैदान का आवंटन किया जायेगा। जिसके लिए नियम एवं शर्त्त कार्यालय सूचना पट्ट एवं www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

1. मेला नीलामी में डाक लगाने हेतु अनिवार्य निम्नांकित शर्त्त/कागजात निर्धारित है :–

i) पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र)

ii) चरित्र/स्वच्छता प्रमाण पत्र

iii) खुली डाक बोली/नीलामी की न्यूनतम राशि 651000.00 रूपये का 20 प्रतिशत राशि 130200 रूपये का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम, हजारीबाग में जमा करना सुनिश्चित करना होगा। उक्त ड्राफ्ट की राशि उच्चतर बोली लगाने वाले व्यक्ति को छोडकर अन्य सभी को डाक बोली समाप्ति के पश्चात वापस कर दिया जायेगा।

2. खुली डाक/नीलामी लगाने हेतु अन्य शर्त्त :–

i) डाक/नीलामी में आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बोली लगाएँगे।

ii) खुली डाक/नीलामी निर्धारित न्यूनतम राशि से शुरू की जाएगी।

iii) खुली डाक बोली/नीलामी में भाग लेने वाले जो व्यक्ति निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर खुली डाक बोली/नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित नहीं होते है अथवा निर्धारित समय के बाद में उपस्थित होते है तो वे खुली डाक में भाग नहीं ले सकेगे। नीलामी प्रक्रिया में आवेदन स्वयं भाग लेंगे,उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति डाक में भाग नहीं ले सकेगे।

iv) खुली डाक बोली/नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदक को अगले दिन डाक बोली की सम्पूर्ण राशि (न्यूनतम सुरक्षित राशि को घटाकर) नगर निगम कार्यालय में जमा करे नाजीर रसीद, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगें। उच्चतम बोली लगाने वाली आवेदक के द्वारा राशि जमा करने में असफल रहने पर द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदक को मेला लगाने के लिए मैदान आवंटित कर दिया जायेगा।

v) उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदक के द्वारा बोली लगाने के उपरांत मेला लगाने से इन्कार करने पर इनके द्वारा जमा की गई न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदक को मेला आवंटित की जायेगी।

vi) उक्त अवधि में परिवर्तन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

vii) किसी भी डाक को अस्वीकृत करने या रद्द करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

viii) नीलामी की प्रक्रिया नगर निगम के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।

ix) डाक बोलने वाले व्यक्ति को पिछले 3 साल का आयकर रिर्टन / GST Clearance Certificate जमा करना होगा।

3. **सफल डाककर्त्ता संबंधी शर्त्त :–**

i) मेला स्थल पर अग्निशमन की व्यवस्था आयोजक को करना होगा।

ii) मेला स्थल की साफ–सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था आयोजक को करना होगा।

iii) मेला स्थल पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था आयोजक को करना होगा।

iv) कार्यक्रम स्थल का मुख्य द्वार एवं अन्य मुख्य मुख्य द्वार पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा का अधिष्ठापन करना आयोजक का दायित्व होगा।

v) सुरक्षा की व्यवस्था करना आयोजक का दायित्व होगा।

vi) मेला की समाप्ति उपरांत गांधी मैदान, मटवारी की पूर्ण साफ–सफाई का दायित्व आयोजक का होगा।

vii) किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर सारी जवाबदेही मेला व्यवस्थापक आयोजक की होगी।

viii) मेला के दौरान अप्रिय घटना/अफवाह फैलाने वाले को रोकने तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से helpline counter का व्यवस्था आयोजक को स्वयं करना होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, हजारीबाग।

31/8/19

ज्ञापांक 3047 / सा॰प्र॰ दिनांक 05/09/19